

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(1)/LA-2012/*u law/30*

Dated *12* the April, 2012

NOTIFICATION

No.F.14(1)/LA-2012/*u law/30* - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 28th March, 2012 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI APPROPRIATION (NO. 1) ACT, 2012
(DELHI ACT 03 OF 2012)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 21st March, 2012)

[28th March, 2012]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2011-2012.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty – third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2012.

issue of

**Rs. 983,67,30,000/-
from and out of
the Consolidated Fund
of the National Capital
Territory of Delhi for
the financial year
2011-2012**

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees nine hundred eighty three crore sixty seven lakh thirty thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2011-2012 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



D. V. S.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

MAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	Sums Not Exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
1	Legislative Assembly Revenue	5292	966	6258
2	General Administration Revenue	200	100	300
	Capital	400000	..	400000
3	Administration of Justice Revenue	1085442	3863	1089305
4	Finance Revenue	300	..	300
	Capital	50000	..	50000
5	Home Revenue	300	950	1250
6	Education Revenue	331782	700	332482
	Capital	148260	..	148260
7	Medical and Public Health Revenue	732280	3645	735925
	Capital	100	..	100
8	Social Welfare Revenue	1219488	..	1219488
	Capital	400	..	400
9	Industries Revenue	33440	1647	35087
10	Development Revenue	381842	..	381842
	Capital	100	..	100
11	Urban Development and Public Works Revenue	1600	..	1600
	Capital	5432933	..	5432933
12	Loans Capital	1100	..	1100
	Total	9824859	11871	9836730



Tarun Sahrawat
12/04/12

(Tarun Sahrawat)

Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग -IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8वाँ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली -110002

सं० फा० 14(1)/एलए-2012/wlaw/30

दिनांक 12 अप्रैल, 2012

अधिसूचना

सं० फा० 14(1)/एलए-2012/wlaw/30.- उप-राज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 28 मार्च, 2012 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

“दिल्ली विनियोग (संख्या -1) अधिनियम, 2012
(2012 का दिल्ली अधिनियम 03)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा 21 मार्च, 2012 को यथा पारित)

[28 मार्च, 2012]

वर्ष 2011-12 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तरेसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

983,67,30,000/- रुपयों
का वर्ष 2011-2012 में
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली की संचित निधि
में से प्रदत्त और प्रयुक्त
।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2012 है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए नौ सौ तिरयासी करोड सठसठ लाख तीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2011-2012 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन ।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

तारुन सिरकावत

अनुसूची
(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़	
1	2	3	4	5	
1	विद्यान मंडल	राजस्व	5292	966	6258
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	200	100	300
		पूंजी	400000	..	400000
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	1085442	3863	1089305
4	वित्त	राजस्व	300	..	300
		पूंजी	50000	..	50000
5	गृह	राजस्व	300	950	1250
6	शिक्षा	राजस्व	331782	700	332482
		पूंजी	148260	..	148260
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	732280	3645	735925
		पूंजी	100	..	100
8	समाज कल्याण	राजस्व	1219488	..	1219488
		पूंजी	400	..	400
9	उद्योग	राजस्व	33440	1647	35087
0	विकास	राजस्व	381842	..	381842
		पूंजी	100	..	100
1	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	1600	..	1600
		पूंजी	5432933	..	5432933
2	ऋण	पूंजी	1100	..	1100
	जोड़		9824859	11871	9836730 ³⁾

तरुण सहरावत

(तरुण सहरावत)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)